राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकःप.8(ग)( )(PSKS)/डीएलबी/21/693 दिनांकः 07/12/21

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 की समीक्षा के दौरान यह तथ्य पाया गया कि अभियान में पट्टे जारी करने के लिए अभी तक नगरीय निकायों में कुल लगभग 1,25,000 आवेदन पत्र ही आम जनता के प्राप्त हुये है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अभियान में विभिन्न प्रकार के पट्टे लोगों को देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेशों/परिपत्रों एवं सरकार द्वारा दी गई रियायतों की जानकारी आम जनता को पूर्ण रूप से नही मिल पायी है। अभियान अवधि के लिए राज्य सरकार ने पट्टे हेतु जमा की जाने वाली राशि में भी भारी छूट दी है। इन सब तथ्यों की जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर अपने मकान के पट्टे के लिए स्वेच्छा से आवेदन कर सकें। इस कार्य को करने के लिए नगरीय निकायों द्वारा निम्नांकित कार्यवाही की जावेः–

1. अभियान में दी गई शिथिलतायें एवं शुल्क में दी गई छूट तथा अन्य संबंधित तथ्यों का शहर में जरिये पम्पलेट, हुपर आदि द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे। मुख्य स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये जावें। समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाकर आम शहरी नागरिकों को पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत कर पट्टा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जावें।
2. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नगर मित्रों को निर्देशित किया जावे कि वह फील्ड में जाकर शहरी आम नागरिकों को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें।
3. नगर पालिका कार्मिकों को क्षेत्रवार/वार्डवार प्रभारी नियुक्त करते हुए उन्हें लक्ष्य दिये जाकर संबंधित क्षेत्र के नागरिकों को पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत करावें।
4. प्रत्येक नगरीय निकाय अपने निकाय क्षेत्र में मिनी कैम्प लगावें एवं निकाय के कार्मिकों को पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदारी दें।
5. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारीगण अपने–अपने निकाय के सभी पार्षदगणों का सहयोग लेकर पट्टे हेतु आवेदन की संख्या बढाने के प्रयास करें।
6. सभी उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग संभाग वाईज अपनी–अपनी नगरीय निकाय की मिटिंग लेकर प्रगति हेतु कार्य योजना तैयार करें।
7. नगरीय निकाय के भूमि अनुभाग में पूर्व से पट्टे हेतु लम्बित/विचाराधीन ऐसी सभी पत्रावलियों की सूची तैयार करवावें एवं उक्त सभी पत्रावलियों को नियत पोर्टल/गूगलशीट पर अपलोड कराकर इन्हें इस अभियान के दौरान नियमानुसार निस्तारित कराने की कार्यवाही करावें।

D/PSKS2021/letter

Scanned with CamScanner

8. सभी नगरीय निकाय विभिन्न प्रकार के पट्टो यथा 90–ए, 69–ए, स्टेट ग्रांट एक्ट/खांचा भूमि आदि के लिए प्राप्त किये जाने वाले आवेदन पत्रों के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की चैक लिस्ट तैयार की जाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आवेदकों को उपलब्ध कराई जावे ताकि आवेदनकर्ता आवेदन प्रस्तुत करते समय वांछनीय सभी दस्तावेजों के साथ सही प्रकार से आवेदन प्रस्तुत कर सकें।
9. निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में जिन योजनाओं के प्लान अनुमोदित हो चुके है एवं भूखण्डधारियों द्वारा अभी तक पट्टा लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया है, ऐसे सभी भूखण्डधारियों को नोटिस जारी किये जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जावें।
10. अनुमोदन से शेष प्लान को सभी निकाय शीघ्र अनुमोदित कर नियमानुसार उनमें भी पट्टा आवंटन की कार्यवाही करावें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

कमांकःप.8(ग)( )(PSKS) /डीएलबी/21/694-1195 दिनांकः 07/12/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/ विकास प्राधिकरण।
7. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
8. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
9. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
10. सचिव, नगरीय विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
11. प्रोग्रामर को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Scanned with CamScanner